राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 241/2024

यशवंत सिंह चौहान —अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी, योजन भवना, तिलक मार्ग, जयपुर।
2. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 12.02.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रशांत कुमार दुबे, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री आशिष राठौड़, प्रभारी अधिकारी

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ सहायक के पद पर निदेशालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.10.1991 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी प्रथम नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.12.2016 (अनुलग्नक—2) के द्वारा अपीलार्थी को लिपिक ग्रेड—ाा के पद पर पदोन्नत किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.12.2021 (अनुलग्नक—3) के द्वारा वर्ष 2021—22 की रिक्तियों के विरूद्ध अपीलार्थी को वरिष्ठ सहायक के पद पर पे—मेट्रिक्स लेवल 08 में पदोन्नति की गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 02.02.2024 (अनुलग्नक—4) के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लिपिक वर्गीय सेवा संवर्ग की विभागीय पदोन्नति समिति की आयोजित पुनर्विलोकन बैठक दिनांक 16.01.2024 में लिये गये निर्णयानुसार अपीलार्थी को कनिष्ठ सहायक के पद हेतु निर्धारित कम्प्यूटर संबंधी योग्यता अर्जित नहीं किये जाने के कारण इनके वर्तमान पद में धारित पद से पदावन्त (demotion)/विलोपित करते हुए इनको इनके प्रथम नियुक्ति के मूल पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पद पर 08 वर्ष पश्चात् अपीलार्थी को बिना कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किये समायोजित किया गया, जो न्याय के मूलभूत

सिद्धांतों के विपरीत है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकृत फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 02.02.2024 को अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वरिष्ठ सहायक के पद पर निदेशालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी योजना भवन, जयपुर में पदस्थापित रह कर कार्य करने दिया जावे तथा अपीलार्थी को वेतन एवं भत्ते का लाभ दिया जावे।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से प्रभारी अधिकारी द्वारा अपील का पुरजोर विरोध करते हुए जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि वित्तीय वर्ष 2013–14 से वर्ष 2019–20 तक की गई सहायक कर्मचारी से कनिष्ठ सहायक की पदौन्नतियों को रिव्यू करवाने के सम्बन्ध में विभाग के कुछ कर्मचारियों द्वारा संयुक्त शासन सचिव आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।

4. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 05.12.2012 के द्वारा दिनांक 31.07.2013 के पश्चात से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता बाहरवीं पास के साथ कम्प्यूटर संबंधी योग्यता (RSCIT) अर्जित करना आवश्यक किया गया था। कार्मिक विभाग से प्राप्त अनुमोदन उपरांत अपीलार्थी द्वारा कनिष्ठ/वरिष्ठ सहायक पद हेतु निर्धारित कम्प्यूटर (RSCIT) संबंधी योग्यता अर्जित नही किये जाने के कारण इनके वर्तमान में धारित पद (वरिष्ठ सहायक) से पदावनत/विलोपित करते हुये विभागीय आदेश दिनांक 02.02.2024 द्वारा प्रथम नियुक्ति के मूल पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर समायोजित किया गया। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

5. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

6. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 05.12.2012 के द्वारा दिनांक 31.07.2013 के पश्चात से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता बाहरवीं पास के साथ कम्प्यूटर संबंधी योग्यता (RSCIT) अर्जित करना आवश्यक किया गया था। कार्मिक विभाग से प्राप्त अनुमोदन उपरांत अपीलार्थी द्वारा कनिष्ठ/वरिष्ठ सहायक पद हेतु निर्धारित कम्प्यूटर (RSCIT) संबंधी योग्यता अर्जित नही किये जाने के कारण इनके वर्तमान में धारित पद (वरिष्ठ सहायक) से पदावनत/विलोपित करते हुये विभागीय आदेश दिनांक 02.02.2024 द्वारा प्रथम नियुक्ति के मूल पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर समायोजित किया गया।

7. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार नहीं है।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य